



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240327
CG-DL-E-16112022-240327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5096]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944

No. 5096]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5322(अ).—जबकि राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 14) (जिसे इसके आगे अधिनियम कहा जायेगा) अधिनियम की धारा 1(2) के संबंध में, दिनांक 25 मई, 2021 को लागू किया गया था।

और जबकि अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से छह माह के भीतर, अधिसूचना द्वारा एक राज्य परिषद का गठन करेगी जिसे राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद कहा जाएगा, जो इस अधिनियम के तहत यथा-निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करेगी और कर्तव्यों का निर्वहन करेगी।

और जबकि भारत में कोविड महामारी के कारण, राज्य सरकारों द्वारा राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषदें निर्धारित अवधि के भीतर गठित नहीं की जा सकीं और उसके कारण अधिनियम की धारा 22 के उक्त उपबंधों के अनुपालन में कठिनाइयाँ आईं।

और जबकि निर्धारित अवधि को आदेश अर्थात् “राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग तृतीय (कठिनाइयों का समापन) आदेश, 2022”, दिनांक 13.05.2022 द्वारा, अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से एक वर्ष और छह माह तक बढ़ा दिया गया था।

और जबकि अधिनियम की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ:

(1) इस आदेश को राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग चतुर्थ (कठिनाइयों का समापन) आदेश, 2022 कहा जाएगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 के प्रवर्तन की तारीख से यथाशीघ्र परन्तु दो वर्ष के भीतर राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषदों का गठन करेंगे।

[फा. सं. जेड-28016/02/2022-एएचएस]

डॉ. सचिन मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

ORDER

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5322(E).—Whereas the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 (14 of 2021) (hereinafter referred to as the Act) came into force on 25th May, 2021, in terms of Section 1(2) of the Act.

AND WHEREAS sub-section (1) of section 22 provides that every State Government shall, by notification, within six months from the date of commencement of this Act, constitute a State Council to be called the State Allied and Healthcare Council for exercising such powers and discharging such duties as may be laid down under this Act.

AND WHEREAS due to the Covid pandemic in India, State Allied and Healthcare Councils could not be constituted by State Governments within stipulated period and because of that difficulties have arisen regarding compliance with the said provisions of section 22 of the Act.

AND WHEREAS the stipulated period was extended to one year and six months from the date of commencement of Act by Order viz., the National Commission for Allied and Healthcare Professions 3rd (Removal of Difficulties) Order, 2022, dated 13.05.2022.

AND WHEREAS, in exercise of the powers conferred by section 69 of the Act, the Central Government hereby makes the following Order, to remove the above said difficulties, namely:

1. **Short title and commencement:**

(1) This Order may be called **the National Commission for Allied and Healthcare Professions 4th (Removal of Difficulties) Order, 2022.**

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2. It is hereby clarified that all the State Governments/Union Territories shall, as soon as may be but within two year from the date of commencement of the National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021, constitute State Allied and Healthcare Councils.

[F. No. Z-28016/02/2022-AHS]

Dr. SACHIN MITTAL, Jt. Secy.